तत्काल / अत्यावश्यक

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक– बी–5 / 2 / अनुज्ञा–माड्यूल / 2014–15 / 1054   भोपाल, दिनांक –31/ 03 / 2016

प्रति,

1. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति,
   ....जिला ....
   (म0 प्र0)

2. संयुक्त संचालक / उप संचालक,
   मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
   आंचलिक कार्यालय,
   भोपाल / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / सागर / जबलपुर / रीवा (म0प्र0

विषय : ई–(मंडी) अनुज्ञा माड्यूल अंतर्गत व्यापारियों द्वारा उपयोग करने संबंधी।

–0–

उल्लेखित विषयान्तर्गत लेख है कि ई–(मंडी) अनुज्ञा माड्यूल अंतर्गत व्यापारियों के उपयोग किये जाने संबंधी माड्यूल को आरंभ किये जाने के संबंध में आंचलिक कार्यालयों की मासिक समीक्षा बैठक दिनांक 18.03.2016 तथा विडियों कान्फ्रेंस दिनांक 21.03.2016 से निर्देश दिये जाकर इस माड्यूल का कियान्वयन शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही माड्यूल का पूर्ण मैन्यूअल आपको समीक्षा बैठक के दौरान उपलब्ध कराया गया है तथा इसकी प्रति दिनांक 18 मार्च 2016 को समस्त आंचलिक कार्यालयों तथा प्रदेश की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की गयी है।

आज दिनांक 31 मार्च 2016 को व्यापारियो के माड्यूल के संबंध में मण्डी बोर्ड, मुख्यालय स्तर पर हुई समीक्षा में यह पाया गया कि मात्र मण्डी समिति–मुरैना के 03 व्यापारियो के द्वारा ही इसका उपयोग किया गया है जबकि शेष 256 मण्डी समितियो में इसका क्रियान्वयन प्रारंभ तक नही हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त माड्यूल का कियान्वयन अपने अंचल की मंडी समितियों में शीघ्र प्रारंभ कराये, एवं इस संबंध में हुई प्रगति का पालन प्रतिवेदन दिनांक 18.04.2016 को मण्डी बोर्ड मुख्यालय में आयोजित होने वाली मासिक समीक्षा बैठक में साथ लेकर आना सुनिश्चित करें।

(ए0पी0एस0 सोलंकी)
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक– बी–5 / 2 / अनुज्ञा–माड्यूल / 2014–15 / 1055   भोपाल, दिनांक –31/ 03 / 2016
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल